

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 35/2024 धारा 75 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2024/51)

अनवान:

- वीर तेजा गौशाला समिति कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जरिये अध्यक्ष भगवानाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर वगैरह।

.....अपीलांट्स

बनाम

- फरसाराम पुत्र लाभूराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर वगैरह।

....रेस्पोंडेंट्स

14.10.2024



पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनुवानी अपील में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है व अपीलांट अपनी अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपनी अनापत्ति व्यक्त की। अतः अपील हाजा विद्धो करने की अनुमति प्रदान कर प्रकरण दाखिल दफ्तर फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के निर्णय दिनांक 29.05.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार पक्षकार इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विद्धो करना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांट्स जरिये विद्वावल (withdrawal) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। आदेश सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

20/10/24
14/10/24
14/10/24
14/10/24
14/10/24